

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शरान विभाग


क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/20/50315

जयपुर,दिनांक: 3/3/21

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस के जवानों एवं अधिकारियों, जिन्हें सराहनीय सेवा मेडल महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए गए हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा केवल स्वयं के निजी आवास में प्रयोग होने वाले किसी एक नगरपालिका में स्थित आवासीय ईकाई व उससे संबंधित आवासीय उपयोगार्थ भूमि पर उनके जीवन काल में नगरीय विकास कर से मुक्ति प्रदान की जाती है, परन्तु किराये पर दिये हुए भूमि एवं भवन के किसी हिस्से पर इस प्रकार नगरीय विकास कर से मुक्ति देय नहीं होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/20/50316-51195

जयपुर,दिनांक: 3/3/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें राज0।
07. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
08. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
09. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र प्रकाशनार्थ प्रस्तुत है।
11. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी